

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

औषध विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2044.84	5.26	2050.10	3158.87	1.19	3160.06	2761.22	0.98	2762.20	4088.69	1.26	4089.95
<i>वसूलियां</i>	-0.03	...	-0.03
<i>प्राप्तियां</i>	-64.25	...	-64.25
निवल	2044.81	5.26	2050.07	3158.87	1.19	3160.06	2696.97	0.98	2697.95	4088.69	1.26	4089.95
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	17.00	...	17.00	20.37	0.73	21.10	19.14	0.60	19.74	20.58	0.80	21.38
2. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण	15.99	...	15.99	18.50	0.40	18.90	17.63	0.37	18.00	19.60	0.40	20.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	32.99	...	32.99	38.87	1.13	40.00	36.77	0.97	37.74	40.18	1.20	41.38
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	396.43	...	396.43	550.00	...	550.00	228.80	...	228.80	242.00	...	242.00
4. जन औषधी स्कीम	100.00	...	100.00	115.00	...	115.00	110.00	...	110.00	284.50	...	284.50
5. औषध उद्योग का विकास	31.02	...	31.02
6. उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी	2.20	...	2.20	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
औषध उद्योग विकास												
7. औषध उद्योग का विकास												
7.01 औषध संवर्द्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)	0.68	...	0.68	4.00	...	4.00	7.00	...	7.00	5.00	...	5.00
7.02 भेषज उद्योग के लिए सामान्य सुविधाएं (एपीआई-सीएफ)/क्लस्टर विकास के लिए सहायता	51.00	...	51.00	44.50	...	44.50	50.00	...	50.00
7.03 भेषज प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएस)	95.00	...	95.00	0.02	...	0.02	5.00	...	5.00
7.04 बल्क ड्रग पार्कों का संवर्द्धन	900.00	...	900.00	85.15	...	85.15	1000.00	...	1000.00
7.05 मेडिकल डिवाइस पार्कों का संवर्द्धन	200.00	...	200.00	64.00	...	64.00	150.00	...	150.00
7.06 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास	31.00	...	31.00	50.00	...	50.00
7.07 चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता	33.00	...	33.00	40.00	...	40.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- औषध उद्योग का विकास	0.68	...	0.68	1250.00	...	1250.00	264.67	...	264.67	1300.00	...	1300.00
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं												
8. उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना												
8.01 बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन	751.49	...	751.49
8.02 भारत में क्रिटीकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स(केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडीएट के घरेलु उत्पादकता और सक्रीय भेषज तत्व (एपीआई) के संवर्धन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	5.95	...	5.95	100.00	...	100.00	16.13	...	16.13	58.00	...	58.00
8.03 मेडिकल डिवाइस पार्कों का संवर्धन	0.90	...	0.90
8.04 मेडिकल डिवाइस के घरेलु उत्पादकता के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना	11.50	...	11.50	100.00	...	100.00	48.16	...	48.16	85.00	...	85.00
8.05 भेषज के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना	655.15	...	655.15	1000.00	...	1000.00	1632.00	...	1632.00	2000.00	...	2000.00
जोड़- उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना	1424.99	...	1424.99	1200.00	...	1200.00	1696.29	...	1696.29	2143.00	...	2143.00
9. फार्मा मेड-टैक में अनुसंधान और नेवाचार का संवर्धन (पीआरआईपी)	1.00	...	1.00	75.00	...	75.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	1955.32	...	1955.32	3120.00	...	3120.00	2303.76	...	2303.76	4048.50	...	4048.50
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
10. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	54.70	...	54.70
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
11. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	1.80	5.26	7.06	...	0.06	0.06	356.44	0.01	356.45	0.01	0.06	0.07
12. भेषज सा.क्षे.उ. से संबंधित हानियां बट्टे खाते डालना/माफ करना												
12.01 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमि. (आरडीपीएल)	64.25	...	64.25
	-64.25	...	-64.25
<i>निवल</i>
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.80	5.26	7.06	...	0.06	0.06	356.44	0.01	356.45	0.01	0.06	0.07
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	56.50	5.26	61.76	...	0.06	0.06	356.44	0.01	356.45	0.01	0.06	0.07
कुल जोड़	2044.81	5.26	2050.07	3158.87	1.19	3160.06	2696.97	0.98	2697.95	4088.69	1.26	4089.95
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	2027.81	...	2027.81	3077.00	...	3077.00	2643.95	...	2643.95	4015.46	...	4015.46

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	17.00	...	17.00	20.37	...	20.37	19.14	...	19.14	20.58	...	20.58
3. रसायन और भेषज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.13	1.13	...	0.97	0.97	...	1.20	1.20
5. रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	...	5.26	5.26	...	0.06	0.06	0.06	0.06
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2044.81	5.26	2050.07	3097.37	1.19	3098.56	2663.09	0.98	2664.07	4036.04	1.26	4037.30
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	61.50	...	61.50	33.88	...	33.88	52.65	...	52.65
जोड़-अन्य	61.50	...	61.50	33.88	...	33.88	52.65	...	52.65
कुल जोड़	2044.81	5.26	2050.07	3158.87	1.19	3160.06	2696.97	0.98	2697.95	4088.69	1.26	4089.95

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. कर्नाटक प्रतिजीवी और भेषज लिमिटेड	...	24.88	24.88	...	32.00	32.00	...	32.00	32.00	...	12.00	12.00
2. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	4.00	...	4.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	1.26	...	1.26	0.01	111.50	111.51	0.01	...	0.01
4. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. बंगाल इम्युनिटी लि.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7. स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	5.26	24.88	30.14	0.06	143.50	143.56	...	32.00	32.00	0.06	12.00	12.06

- सचिवालय:** यह प्रावधान भेषज विभाग के वेतन और स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण:** यह प्रावधान एनपीपीए के सचिवालय एवं स्थापना व्यय के लिए रखा गया है।

3. **राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** यह प्रावधान 7 एनआईपीईआर अर्थात् मोहाली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के कर्मचारियों के वेतन, स्थापना एवं अन्य व्यय के लिए किया गया है।

4. **जन औषधि स्कीम:** प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए जन औषधि स्कीम के अंतर्गत।

6. **उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और राज्य संसाधन यूनियनों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

7.01. **औषध संवर्द्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस):** इस योजना का उद्देश्य संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके और निर्यात के साथ-साथ निवेश, संचालन अध्ययन/विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए परामर्श के लिए भारत से आरोग्य प्रतिनिधिमंडल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रचार, विकास और निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात के साथ-साथ फार्मा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

7.02. **भेषज उद्योग के लिए सामान्य सुविधाएं (एपीआई-सीएफ)/क्लस्टर विकास के लिए सहायता:** इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में एकमुश्त अनुदान सहायता के माध्यम से विभिन्न चरणों में जारी किया जाएगा ताकि इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के लिए पहचान की गई बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए जारी किया जा सके।

7.03. **भेषज प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएस):** इस उप-योजना का उद्देश्य पात्र लघु और मध्यम स्तर की फार्मा इकाइयों को जीएमपी अनुरूप विनिर्माण सुविधाओं के लिए बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मूलेशन दोनों के लिए व्याज आर्थिक सहायता प्रदान करना है। डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानदंडों को प्राप्त करने के लिए अपने विनिर्माण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की इच्छुक पात्र इकाइयों को अपने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करना होगा।

7.04. **बल्क ड्रग पार्कों का संवर्द्धन:** थोक दवाओं की विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी लाने और इस तरह घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पार्क में स्थित थोक दवा इकाइयों को विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाएं (सीआईएफ) तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए देश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए।

7.05. **मेडिकल डिवाइस पार्कों का संवर्द्धन:** भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए। बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच के परिणामस्वरूप चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और वहीनीयता होगी।

7.06. **चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास:** इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा और उपकरणों के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में मौजूदा अंतर को पूरा करना है और चिकित्सा प्रौद्योगिकी के तेजी से नव प्रवर्तनशील बहु विषयक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने और क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन के महत्वपूर्ण समूह को तैयार करने हेतु चिकित्सा प्रौद्योगिकी शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण और उत्कृष्टता का पोषण सुनिश्चित करना है।

7.07. **चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता:** इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण समूह को मजबूत करना और गुणवत्ता एवं सतत विकास में सुधार के लिए चिकित्सा उपकरणों हेतु अधिक परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करना और/या स्थापित करना है।

8.02. **भारत में क्रिटीकल की स्टार्टिंग मेटेरियल्स(केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडीएट के घरेलू उत्पादकता और सक्रीय भेषज तत्व (एपीआई) के संवर्द्धन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण केएसएम/डीआई/एपीआई में आयात निर्भरता को कम करना है। योजना के तहत पात्र उत्पादों के लिए चयनित आवेदक द्वारा किए गए प्रतिबद्ध निवेश और बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

8.04. **मेडिकल डिवाइस के घरेलू उत्पादकता के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना:** यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।

8.05. **भेषज के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना:** इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और दवा क्षेत्र में उच्च मूल्य के सामान के उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है।

9. **फार्मा मेड-टैक में अनुसंधान और नेवाचार का संवर्द्धन (पीआरआईपी):** इस योजना का उद्देश्य उद्योग को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और गुणवत्ता पूर्ण अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करना और उद्योग-शिक्षा सह संबंध का संवर्द्धन करके देश में वैज्ञानिकों के समूह का पोषण करना, जिससे सतत वैश्विक प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त होगा और देश में गुणवत्ता पूर्ण रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।

11. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** ये प्रावधान 6 फार्मास्यूटिकल्स सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए रखे गए ऋण के तहत हैं।

12. **भेषज सा.क्षे.उ. से संबंधित हानियां बट्टे खाते डालना/माफ करना:** आरडीपीएल के संबंध में 64.25 करोड़ रुपये की ऋण राशि की माफी।